न्यायालय सहायक कलक्टर देवगढ़ जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, अर्चना चौधरी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 110 / 2024(रे0वाद)
दायर दिनांक – 18 / 10 / 2024
निर्णय दिनांक – 24 / 12 / 2024

अनवान

1. धन्ना रावल गुरू नारायण रावल जाति रावल आयु 80 वर्ष निवासी आंजना तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राज0

–– वादी

बनाम

1. तहसीलदार देवगढ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. किशननाथ पिता केला नाथ निवासी सुथार फरियु धंतुरीया भरूच गुजरात हाल निवासी जोगेला तहसील देवगढ जिला राजसमंद

–– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. वादी की ओर से – श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता
2. प्रतिवादी की ओर से– श्री हरलाल रायका, अधिवक्ता

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 –89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धरा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी ग्राम आंजना तहसील देवगढ जिला राजसमंद का ठिकानादार आयस था उक्त आंजना रियासत उदयपुर ठिकाने के आयस जांगीरदार थे जो वादी के गुरू संतोक रावल गुरू रूप रावल की है जिसका चेला वादी है जो आंजना कि रियासत कालिन सम्पदा श्री संतोक रावल के देहवसान के बाद आयस ठिकानेदार श्री धन्ना रावल को प्राप्त हुई है। संतोक रावल जी ठिकाने के आयस ठिकानेदार आंजना के गादी के ठिकानेदार थे जिनके तत्कालिन समय चेले ठिकाने

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

आयस पर रहते थे उक्त समय संतोक रावल जी के चेले नारायण रावल, प्रेमरावल जी, वादी, कालु रावल, गणेष उर्फ लच्छु रावल जी आदी चेले थे जो उनके साथ निवासरत थे। उक्त सभी चेले संतोक रावल जी के ठिकाने में कार्यरत थे। सभी एक साथ निवासरत थे। ठिकाना आंजना कि आयस कि समस्त आराजियात श्री संतोक रावल जी कि जांगिदारी थी एवं उनकी मृत्यु के बाद नारायण रावल व बाद में उक्त भूमि पर आयस ठिकानेदार श्री धन्नारावल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही जागिरी रिजमस्म के समय श्री संतोक रावल जी कि भूमि सिलिंग में जाने से उन्होने अपनी भूमि जग्गु उर्फ जग्गनाथ एवं गणेष उर्फ लच्छु को कब्जे में सुपुर्द की जो राज्य सरकार में भुमि जाने के बाद भूमि का आंवटन जरीये नामान्तरण संख्या 295 बिलानाम अधिकरण से भूमि जग्गुनाथ पिता पेमा रावल (जग्गुनाथ गुरू पेमारावल) खसरा संख्या 179 में से 4 बीघा भूमि दिनांक 17.01.1975 को अलौट हुई जिसका नामान्तरण खोल कब्जा सुपुर्द किया गया इसी तरह जरीये नामान्तरण संख्या 296 खसरा संख्या 179 में ही 4 बीघा भूमि लच्छु उर्फ गणेश गुरू नारायण रावल (लच्छु पिता छोगा रावल) के नाम अलौट की गई एवं नामान्तरण खोला गया उक्त समस्त सम्पदा पर प्रारम्भ से ही ठिकाना आंजना आयस का कब्जा व मालिकाना हक था जो उनके कामदार के नाम आवंटन हुई। उक्त कब्जा आजादी के पुर्व मेवाड सेटलमेंट से पुर्व ठिकानेदार का था एवं उसके बाद ठिकानेदार संतोक रावल का कब्जा चला आ रहा है श्री संतोक रावल कि मृत्यृ के बाद नारायण रावल व उक्त भूमि वादी धन्ना रावल के कब्जे कास्त में करीब 75 वर्षो से चली आ रही है। जग्गु व लच्छु दोनो ही ठिकाने

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

आसन(नागी गादी नाथ सम्पदा आंजना) के ठिकाने में बतौर चेला पदत्ती में कार्यरत चेले थे जिनके बाद उक्त भूमि वर्ष 1975 में आंवटन कि गई जिस समय आंवटन की गई उस समय श्री जग्गु नाथ कि आयु 64 वर्ष एवं लच्छु उर्फ गणेष कि उम्र 61 वर्ष थी दोनो ही व्यक्ति ठिकाने आयस में निवासरत होकर अनकी गादी में कार्यरत थे। श्री जग्गनाथ कि मृत्यु दिनांक 06.09.1993 को हुई एवं लच्छु कि मृत्यु वर्ष 1988 को हुई जब जग्गनाथ कि मृत्यु हुई तब जग्गनाथ कि आयु 83 साल एवं लच्छुरावल कि मृत्यु के समय आयु करीब 80 वर्ष थी उक्त दोनो व्यक्ति के मृत्यु के बाद कृषि आराजियात वादी के कब्जे में निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के अविरल चली आ रही है उसे पुर्व भी उक्त भूमि वादी के ही उपयोग उपभोग में थी क्योकि उक्त दोनो व्यक्ति वादी कि आयस गादी के चेले बिना शादी सुदा थे जो लाऔलाद फौत हुये। वादग्रस्त भूमि के पुर्व सेटलमेंट सम्वत् 2076 जमाबन्दी के खसरा संख्या 1019/179 रकबा 4 बीघा के नवीन आराजी संख्या 250 रकबा 0.8600 हैक्टर भूमि श्री जगु पुत्र पेमा रावल (जगु गुरू पेमारावल) के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई एवं। सेटलमेंट सम्वत् 2076 जमाबन्दी के आराजी संख्या 1020/179 रकबा 4 बीघा के नवीन आराजी संख्या 251 रकबा 0.8600 हैक्टर भूमि श्री लच्छु पिता छोगारावल (लच्छु उर्फ गणेष गुरू नारायण रावल) के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। लच्छु उर्फ गणेश रावल एवं जग्गु उर्फ जग्गनाथ कि लाऔलाद फौत होने जाने के बाद वारीस सजरा चेलेनामे अनुसार उक्त भूमि वादी धन्ना रावल गुरू नारायण रावल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी थी परन्तु उक्त भूमि का आज दिन तक नामान्तरण

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने से भूमि राजस्व रेकार्ड में तत्करालिन खातेदारो के नाम से दर्ज चली आ रही थी। जबकि वादी उक्त भूमि वादी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में माफिक सजरा विरासत एवं निरन्तर कब्जे से दर्ज कराने का अधिकारी है। वर्तमान में करीब 6 माह पुर्व उक्त भूमि के सन्दर्भ मे किसी कुट रचित फर्जी विक्रय पत्र कि जानकारी वादी को लगी तब वादी ने पटवार हल्का से सम्पर्क किया तो पता लगा कि उपपंजियक देवगढ के यहा उक्त वादी के स्वामित्व कब्जे एवं हक अधिकार कि भूमि जो राजस्व रेकार्ड में जगु पिता पेमा रावल एवं लच्छु पिता छोगरावल के नाम दर्ज थी एवं उक्त भूमि उक्त दोनो व्यक्ति को नाम वर्ष 1975 में आवंटित हुई उक्त आवंटन भी वादी एवं वादी के गुरू नारायण रावल व सन्तोक रावल ने करवाया।उक्त दोनो नाम के फर्जी व्यक्ति उपपंजियक देवगढ में फर्जी आधार कार्ड बना उपस्थित हुये एवं वादी के हक हकुक कि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 योगी किषन नाथ के नाम जरीये रजिस्टर्ड बिकाव दिनांक 06.11.2023 को अलग अलग दो विक्रय पत्र दस्तावेज कमांक 202301487002888 व 202301487002692 निष्पादीत कराये उक्त दोनो दस्तावेजो में खरीदने वाला एक ही व्यक्ति एवं गवाह भी एक ही विनोद कुमार पिता मांगी लाल रेगर एवं धन्ना पिता चन्दनींग नाम के व्यक्ति उपस्थित हो उक्त कुटरचित विक्रय पत्र निष्पादीत कराया जबकि वास्तव में विक्रय करने वाले कोई व्यक्ति इस नाम के नही थे जिनके नाम भूमि थी वह पुर्व में मृत्यु हो चुकि थी। वास्तवीक खातेदार कि मृत्यु 31 व 35 वर्ष पुर्व हो चुकी थी उनके झुठे दस्तावेज बना वादी कि भूमि कि किमत बढ जाने से प्रतिवादी संख्या 2 व गवाहो ने मिली

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलैक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

भगत कर श्री जग्गु व लच्छु नाम के फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी व्यक्ति खडे कर भूमि का विक्रय पत्र कराया एवं भूमि अपने नाम कराने का प्रयास किया। वास्तव में श्री जगु पिता पेमा रावल को भूमि आंवटित हुई तब जगु कि उम्र करीब 65 थी एवं लच्छु पिता छोगा रावल कि उम्र करीब 61 वर्ष थी जबकि जिन दस्तावेजो पर जगु पिता पेमा रावल नाम का व्यक्ति उपपंजियक देवगढ में उपस्थित हुआ उसका आधार कार्ड अनुसार उसकी जन्म तारीख 01.01.1976 थी जबकि उक्त भूमि तो आंवटन ही दिनांक 17.01.1975 को जगु के नाम हुई थी अर्थात यह व्यक्ति जो उपस्थित हुआ वह फर्जी दस्तावेजो से हुआ स्पष्टतया है उक्त व्यक्ति के जन्म से पुर्व ही उक्त भूमि आंवटन हुई दृष्टि गोचर देखने से ही फर्जी लग रहा है। एवं लच्छु पिता छोगा कि उम्र रजिस्ट्री में प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार उनका जन्म दिनांक 01.01.1968 में हुआ अर्थात आंवटन 1975 में होने से स्पष्टत्या फर्जी व्यक्ति है वास्तव में आंवटन के समय लच्छु उर्फ गणेष कि आयु 61 थी एवं लच्छु उर्फ गणेष कि मृत्यु वर्ष 1988 में हो गई दोनो ही खातेदारी स्वर्गवासी है जिनके नाम के फर्जी दस्जावेज बना फर्जी व्यक्ति खडे कर भूमि के दलालो ने उक्त वादी के हक कि भूमि हडपने के लिये कुट रचना पुर्वक फर्जी विक्रय पत्र तैयार किया एवं वादी कि भूमि अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा कब्जे करने पर आमदा हो रहे है जिनका कोई हक हकुक उक्त भूमि पर नही है वास्तव में ग्राम आंजना में लच्छु पिता छोगारावल एवं जगु पिता पेमा रावल नाम का कोई जीवित व्यक्ति नही है। वादी उक्त भूमि का वास्वतीक रूप से कब्जेदार व विरासत चेले से हकदार है जो अपने नाम

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 2 ने अन्य से मिली भगत कर कुटरचना पुर्वक दस्तावेज निर्माण करवाये जो प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य है। शुन्य दस्तावेजो के आधार पर प्रतिवादी अपने नाम भूमि दर्ज कराने के प्रयासरत है जिनका उन्हे कोई अधिकार नही है माननीय न्यायालय आप से वादी प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाहता है कि उक्त भूमि पर वादी के किये जा रहे उपयोग उपभोग में प्रतिवादी स्वयं अपने रिश्तेदार, नौकर, चाकर एवं ऐजेन्ट द्वारा कोई रूकावट, बाधा या दखल अन्दाजी उत्पन्न नही करे, न ही करावें भुमी से सम्बन्धित कोइ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित नही करावे । प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के रेकार्ड में कोई परिवर्तन दौराने वाद नही करे भुमी से सम्बन्धित कोइ हस्तान्तरण विलेख पजिंयन नही करे इस बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण सख्या 2 द्वारा वादी को धमकी देने से वाद हेतुक उत्पन्न हुआ उसके बाद वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं तहसील से नकले निकाली तब से वाद हेतुक उत्पन्न हो निरन्तर जारी होने से वाद नियत अवधि में प्रस्तुत हैं। वादी निम्न अन्तिम दाद चाहते है कि ग्राम आंजना पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ के पुर्व सेटलमेंट जमाबन्दी खसरा संख्या 1019/179 रकबा 4 बीघा के नवीन आराजी संख्या 250 रकबा 0.8600 हैक्टर भूमि एवं सेटलमेंट समवत् 2076 जमाबन्दी के आराजी संख्या 1020/179 रकबा 4 बीघा के नवीन आराजी संख्या 251 रकबा 0.8600 हैक्टर भूमि में वादी राजस्व खातेदार दर्ज किये जाने कि घोषणा व इसी आशय कि डिक्री फरमाई जावें। प्रतिवादी सख्या 2 स्थाई निषेधाज्ञा से

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

पाबंद फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजियात में वादी के उपयोग उपभोग, कास्त में स्वयं, अपने नौकर चाकर ऐजेन्ट या अन्य किसी व्यक्ति से दखत अंदाजी उत्पन्न नही करें, न ही करावें। वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादीगण खुर्द बुर्द नही करे इसी आशय का आदेश व डिक्री जारी फरमाई जावें। राजस्व रेकार्ड में यथास्थिति बनाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित तथ्य सही होकर स्वीकार है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 02 में वर्णित तथ्य वादी स्वयं सिद्ध करें। वाद पत्र की कॉलम संख्या 03 में सर्जरा वादी स्वयं सिद्ध करे। वाद पत्र की कॉलम संख्या 04 में वर्णित तथ्य सही होकर स्वीकार है उक्त भूमि जग्गु उर्फ जग्गनाथ एवं गणेश उर्फ लच्छु को आवंटन हुई एवं 75 वर्षों से कब्जा काश्त वादी का ही है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 05 में वर्णित तथ्य सही होकर स्वीकार है भूमि वादी के ही कब्जे काश्त में है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 06 में वर्णित तथ्य सही होकर स्वीकार है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 07 में वर्णित तथ्य सही होकर स्वीकार है वादग्रस्त भूमि कि गलत रूप से मेरे नाम रजिस्ट्री करवा दी जबकि उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादी का ही होकर वादी ही उपयोग उपभोग कर रहा है वादी राजस्व रेकॉर्ड में उक्त भूमि दर्ज कराने का अधिकारी है मुझे अंधकार में रख मृतक व्यक्ति के रूप में फर्जी लोग प्रस्तुत हो मेरे नाम पंजीकरण करा दिया वास्तव में मुल खातेदार कि मृत्यु हो चुकी थी जिसकी जानकारी अभी हाल ही में हुई है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 08 में वर्णित तथ्य सही होकर स्वीकार है वादग्रस्त भूमि कि मुझ

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

प्रार्थी को अंधकार में रखते हुये मेरे नाम दो अलग–अलग दिनांको को विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवा दी फर्जी व्यक्ति कि जानकारी मुझ प्रतिवादी को नहीं थी भूमि वादी अपने नाम दर्ज करावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 09 में वर्णित तथ्य में वादग्रस्त भूमि कि गलत रूप से विक्रय पत्र मेरे नाम करवाया गया जिसकी जानकारी मुझे हाल ही हुई। वाद पत्र की कॉलम संख्या 10 में वर्णित तथ्य में भूमि वादी के ही कब्जे काश्त में होकर वादी ही उपयोग उपभोग कर रहा है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 11 में वर्णित तथ्य सही होकर स्वीकार है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 12 में वर्णित तथ्य क्षैत्राधिकारिता से संबंधित हो उत्तर कि आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 13 में वर्णित तथ्य न्याय शुल्क से सबंधित हो उत्तर हो उत्तर कि आवश्यकता नहीं है। वादपत्र की कॉलम संख्या 14 में कानूनी हो उत्तर कि आवश्यकता नहीं है। वादपत्र की कॉलम संख्या 15 व 16 में वादी के पक्ष में अंतिम दाद जारी कि जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जवाब के विशेष उत्तर में उल्लेख किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम आंजना पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित है जिसके वर्तमान आराजी संख्या 250 रकबा 0.8600 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 251 रकबा 0.8600 हैक्टेयर होकर स्थित है उक्त भूमि कि गलत व मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर फर्जी व्यक्तियों द्वारा कुटरचना पुर्वक मुझ प्रतिवादी को अंधकार में रखते हुये दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अलग–अलग दिनांको को निष्पादित करा मेरे नाम करा दी जबकि उक्त भूमि 75 वर्ष पूर्व जग्गु उर्फ जग्गनाथ व गणेश उर्फ लच्छु के नाम अलौट हुई एवं उनकी मृत्यु के बाद उक्त पर वादी का ही कब्जा काश्त होकर वादी ही उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि गलत विक्रय पत्र के आधार पर मेरे नाम में राजस्व रिकॉर्ड में

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

दर्ज हो गई जिससे मेरे नाम से विलोपित की जाकर पुनः वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जावें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होकर पुर्ण सहमति है। प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध कोई दाद चाही नहीं गयी है एवं भूमिधारी होने से जवाब अपेक्षित नहीं है।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह गिरवरलाल पिता हीरा जाति रायका, हजारीलाल पिता मोती जाति सुथार, कालुसिंह पिता डुंगरसिंह, धन्नारावल गुरू सन्तोक रावल जाति रावल एवं हजारीलाल पिता खुमान जाति रेगर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं चाही गयी। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहा जिससे प्रकरण में उनकी साक्ष्य बन्द की गयी।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस ने जाहिर किया कि वादी के गुरू संतोक रावल गुरू रूप रावल है जिसका चेला वादी है। संतोक रावल के चेले लच्छु उर्फ गणेश एवं जग्गनाथ लाऔलाद फौत होने से वादी चेलेनामे विरासत अनुसार आराजी संख्या 250 रकबा 0.8600 हैक्टेयर एवं 251 रकबा 0.8600 हैक्टेयर भूमि वादी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी गुरू भाई है जो मूल आसन संतोक रावल के चेले नारायण रावल, प्रेम रावल के चेले लच्छु व जग्गनाथ का गुरू भाई होने से एवं हिन्दु अधिकार अधिनियम एवं हिन्दु विधि अनुसार लाऔलाद चेले के फौत हो जाने पर गुरू भाई उक्त भूमि को अपने नाम कराने का अधिकारी। भूमि पर करीब 50 वर्षों से काबिज होकर कास्त कर रहा है। भूमि वादी की अधिकारिता है एवं मूल खातेदार लच्छु एवं जगु की मृत्यु क्रमशः 1988 एवं 1993 में हो चुकी है जो लाऔलाद फौत हुए। प्रतिवादी संख्या 02 के नाम जगु

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

पिता पेमा रावल एवं लच्छु पिता छोगारावल के नाम दर्ज भूमि को फर्जी दस्तावेज दस्तावेज तैयार प्रतिवादी संख्या 02 ने विक्रयपत्र निष्पादित करवा दिया गया। उक्त दस्तावेज प्रारंभ से अवैध व शून्य है क्योंकि मृतक के नाम फर्जी दस्तावेज बना भूमि का हस्तान्तरण एवं विक्रय पत्र निष्पादित किया गया। स्वयं प्रतिवादी संख्या 02 ने भी उक्त बात जवाब में स्वीकार की मेरे साथ भी धोखाधड़ी हुई उक्त दोनों व्यक्ति मरे हुए थे मेरा विक्रय पत्र शून्य एवं भूमि वादी के कब्जे काश्त में है। एवं भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज किए जावें तो वादी को कोई आपत्ति नहीं होकर सहमति है। वादी अधिवक्ता ने बताया कि वादपत्र को गवाह द्वारा कब्जे एवं सजरा से प्रमाणित है अतः वादी को राजस्व खातेदार दर्ज किये जाने का घोषणा एवं डिक्री फरमाई जावें तथा प्रतिवादी संख्या 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। प्रतिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब की ताईद की।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र में उपलब्ध, दस्तावेज गवाह बयानात एवं जवाब पत्र का अवलोकन किया गया। वादपत्र में स्पष्ट रूप से दर्शित है कि मूल खातेदार लाऔलाद फौत है। वादी गुरूभाई है एवं वादी के कब्जे कास्त में ही उक्त भूमि उपयोग उपभोग में चली आ रही है जो निरन्तर वादी के कब्जे में है। वादी ही एक मात्र भूमि का वारिस है प्रतिवादी संख्या 02 ने स्वयं उक्त बात को स्वीकार किया। जिससे वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकारी है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम आंजना पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

आराजी नम्बर 250 क्षैत्रफल 0.8600 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के नाम से हटा वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदारी व आराजी नम्बर 251 क्षैत्रफल 0.8600 हैक्टेयर भूमि जो लच्छु पिता छोगा के नाम दर्ज हैं को विलोपित करते हुए वादी धन्नारावल गुरू नारायण रावल के नाम राजस्व बतौर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है वादी के उपयोग उपभोग में कोई दखलअन्दाजी नहीं करें । इसी अनुसार डिक्री पर्चा कायम हो। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :– 110 / 2024 (रे0वाद)

अनवान

1 धन्ना रावल गुरू नारायण रावल जाति रावल आयु 80 वर्ष निवासी आंजना तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राज0

–– वादी

बनाम

1. तहसीलदार देवगढ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. किशननाथ पिता केला नाथ निवासी सुथार फरियु धंतुरीया भरूच गुजरात हाल निवासी जोगेला तहसील देवगढ जिला राजसमंद

–– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– श्री हरलाल रायका, अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 24.12.2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम आंजना पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान आराजी नम्बर 250 क्षैत्रफल 0.8600 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के नाम से हटा वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदारी व आराजी नम्बर 251 क्षैत्रफल 0.8600 हैक्टेयर भूमि जो लच्छु पिता छोगा के नाम दर्ज हैं को विलोपित करते हुए वादी धन्नारावल गुरू नारायण रावल के नाम राजस्व बतौर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है वादी के उपयोग उपभोग में कोई दखलअन्दाजी नहीं करें । इसी अनुसार डिक्री

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

पर्चा कायम हो। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द